



सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन

टाइटल VI नीति वक्तव्य

सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन (COH), "1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के टाइटल VI, 49 सीएफ़आर, भाग 21", और सभी संबंधित नियमों और निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।¹ सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन यह विश्वास दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल या अंग्रेज़ी भाषा की दक्षता के आधार पर, सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन के किसी कार्यक्रम, गतिविधि या सेवा में भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही इनके लाभ से वंचित रखा जाएगा और न ही इनमें भागीदारी करने से रोका जाएगा। सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन यह भी विश्वास दिलाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उसके किसी भी कार्यक्रम, गतिविधि और सेवा में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, चाहे उन कार्यक्रम, गतिविधियों और सेवाओं का पैसा संघीय सरकार से आता हो या नहीं। अगर सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन संघीय सहायता राशि किसी और संस्था को देता है, तो सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन सभी लिखित समझौतों में "टाइटल VI" की भाषा को शामिल करेगा और इसकी निगरानी करेगा कि अनुपालन किया जा रहा है। "कार्यकारी आदेश 12898, कम आय वाली और अल्पसंख्यक आबादियों में पर्यावरण संबंधी न्याय के लिए संघीय कार्यवाही" के अनुसार, सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उसके कार्यक्रमों या गतिविधियों के किसी भी प्रभाव के परिणामस्वरूप, कम आय वाली और अल्पसंख्यक आबादियों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, "कार्यकारी आदेश 13166, अंग्रेज़ी भाषा की सीमित दक्षता वाले लोगों के लिए सेवाएँ इस्तेमाल कर पाना आसान बनाना" के अनुसार, सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन यह विश्वास दिलाता है कि "अंग्रेज़ी भाषा की सीमित दक्षता" वाले लोगों के लिए सेवाओं तक कारगर पहुँच मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के टाइटल VI और संबंधित संघीय और राज्य गैर-भेदभाव प्राधिकरणों के तहत प्रतिशोध निषिद्ध है। यह सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन की नीति है कि भेदभाव की शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों को प्रतिशोध, हस्तक्षेप, धमकी, जबरदस्ती या प्रतिशोध के डर के बिना ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए।

भेदभाव के विशिष्ट रूपों का निषेध

भेदभाव को रोकने के लिए सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन के प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन वे प्रतिबंधित करने तक सीमित नहीं हैं:

- किसी कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं, वित्तीय सहायता या अन्य लाभों से वंचित रखना।
- लाभ दिए जाने के तरीके, उसकी गुणवत्ता या मात्रा अथवा राशि में भेदभाव करना।
- कार्यक्रम के किसी हिस्से में लोगों को अलग या वर्गीकृत करना।
- दूसरों को दिए जा रहे लाभों, सुविधाओं और अन्य फ़ायदों का पूरी तरह से उपयोग न करने देना।
- भागीदारी के लिए अलग-अलग मापदंड या आवश्यकताएँ।
- प्रशासन के ऐसे तरीके जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संविदात्मक संबंधों के माध्यम से भेदभाव रोकने के उद्देश्य को प्रभावी रूप से पूरा नहीं होने देते या उसमें बाधक बनते हैं।
- किसी हार्डवे, इंफ़्रास्ट्रक्चर या किसी ऐसी जगह या सुविधा से संबंधित किसी गतिविधि या सेवा में भेदभाव करना, जो कि पूरी तरह से या जिसका कुछ हिस्सा संघीय सरकार के पैसों से बनाया गया हो या मरम्मत कराई गई हो।
- किसी ऐसे कार्यक्रम या सेवा के ज़रिए दिए जाने वाले रोज़गार में भेदभाव करना, जिसका मुख्य उद्देश्य रोज़गार मुहैया कराना ही हो।

टाइटल VI के अंतर्गत आने वाले सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन के कार्यक्रम और सेवाएँ

सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन का टाइटल VI प्लान, उसके सभी कार्यक्रमों, गतिविधियों और सेवाओं पर लागू होता है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसों का स्रोत क्या है।


John Whitmire, महापौर
सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन, टेक्सास

3/22/24
तारीख

¹ निम्नलिखित सहित संबंधित नियम और निर्देश:

- 1973 के पुनर्वास अधिनियम की धारा 504, जो विकलांगता के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाती है।
- 1972 के शिक्षा संशोधन अधिनियम का टाइटल IX, जो शिक्षा कार्यक्रमों या गतिविधियों में लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
- 1975 का आयु भेदभाव अधिनियम, जो उम्र के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
- यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी विनियम 6 सी.एफ़.आर. भाग 19, जो समाज सेवा कार्यक्रमों में धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।